उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग–3
संख्या: ५५१ /2023–सी0एक्स0–3
लखनऊ: दिनांक २१ मार्च, 2023

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू–गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग अत्यन्त ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद के भण्डारण एवं वितरण के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे संबंधित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1285, दिनॉक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 {अधिनियम संख्या 19, सन् 1923} की धारा–2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू–गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू–गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टियाँ	
इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया आर.सी.पी. 06, बिरसिंहपुर, आरसीपी स्टेशन।	
पूर्व में	गाटा संख्या–82 (गोकरन पुत्र देवनारायन की कृषि भूमिधरी)।
पश्चिम में	गाटा संख्या 82 (अवधेश पुत्र कामेश्वर तथा अन्य की कृषि भूमिधरी)।
उत्तर में	खड़न्जा मार्ग 9 मीटर से कम।
दक्षिण में	गाटा संख्या 94 (सभापत शुक्ल तथा अन्य की कृषि भूमिधरी)।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।